04/08/2020

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोहनलाल की ओर से वकील श्री पारसमल बराडा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री पारसमल बराडा ने प्रार्थना पत्र आज ही पेशी में ली जाकर पत्रावली रिमांड करने हेतु निवेदन किया एवं मौखिक कथन किया कि अपीलेंट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपीलेंट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत नोटिस तामिल न होने का कथन किया है। अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत अपील को रेस्पोडेन्ट की सुनवाई हेतु रिमांड किया जाता है तो इसमें रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली सुनवाई हेतु रिमांड फरमाई जावे।

रेस्पो. के प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलेंट ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। रेस्पो. द्वारा भी निर्णय अपास्त कर पत्रावली में अपीलेंट को सुनवाई हेतु रिमांड किये जाने बाबत सहमति जताई है। अतः न्यायहित में रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 उनवान मोहनलाल बनाम रामलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 13/03/20 अपास्त किया जाकर उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/08/20 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद अनुपालना कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

4/8/2020